

 सत्यमेव जयते	राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
	साधिकार प्रकाशित	Published by Authority
	अग्रहायण 14, शुक्रवार, शके 1947- दिसम्बर 05, 2025 Agrahayana 14, Friday, Saka 1947- December 05, 2025	

भाग-1(ख)

महत्वपूर्ण सरकारी आज्ञायें।

कार्यालय पुलिस उपायुक्त मुख्यालय एवं यातायात, जोधपुर

अधिसूचना

जोधपुर, दिसम्बर 02, 2025

संख्या य-2(जोध/पु.उपा./याता./2025/ 3873-3902:- डी.बी. सिविल रिट पिटीशन संख्या 8139/2024 द्वारा श्री चन्द्रशेखर बनाम राज्य सरकार व अन्य में दिनांक 12.11.2025 को माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर द्वारा पारित आदेश की पालना में एम्स अस्पताल में आने वाले मरीजों/उनके परिजनों को होने वाली असुविधा, सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम, जनसुरक्षा, यातायात के समुचित प्रवाह एवं नियन्त्रण हेतु राजस्थान मोटरयान नियम 1990 के नियम 8.1(ii) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं शहीन सी, पुलिस उपायुक्त मुख्यालय एवं यातायात, जोधपुर आयुक्तालय लोकहित में एतद्वारा जोधपुर महानगर में एम्स तिराहा बासनी से नहर चौराहा तक आने-जाने वाली रोड़ पर प्रातः 07.00 बजे से रात्रि 11.00 बजे तक भारी वाहनों का आवागमन पूर्णतया प्रतिषिद्ध (Prohibit) एवं निर्बन्धित (Restrict) करता हूँ।

परन्तु उक्त प्रतिबन्धों में निम्नलिखित वाहनों को छूट रहेगी:-

भारतीय सेना, अर्द्धसैनिक बल, पुलिस, राज्य सरकार व भारत सरकार के वाहनों, स्कूल बस एवं जनसम्पर्क/चिकित्सा विभाग (ऑक्सीजन व आपातकालीन सेवा) में लगे वाहनों को पूर्णतया छूट रहेगी।

उपरोक्त अधिसूचना की अवहेलना पर मोटर वाहन अधिनियम/नियमों के अन्तर्गत पुलिस एवं परिवहन विभाग द्वारा आवश्यक कार्यवाही अमल में लाई जावेगी। यह अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होने की दिनांक से लागू होगी।

उक्त अधिसूचना आज दिनांक 02.12.2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय की मुहर से जारी की गई हैं।

शहीन सी
पुलिस उपायुक्त
मुख्यालय एवं यातायात,
जोधपुर

14084

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर